न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज॰

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 213/2022

जीसीएमएस नं. :– 2022/289

प्रार्थीया :–
शान्ति देवी पत्नि मंगलाराम जाति सुथार निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :– 04.07.2022

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीया की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश"

दिनांक : 22.04.2024

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि ग्राम साथीन चक द्वितीय तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
734	1393	5.2181 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	1394	1.2782 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	कुल खसरा 02	कुल रकबा 6.4963 हैक्टयर	

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1393 रकबा 5.2181 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1394 रकबा 1.2782 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 6.4963 हैक्टयर भूमि में बस्तीराम पुत्र छोटूराम 1/3 वां हिस्सा पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते थे, बस्तीराम पुत्र छोटूराम जाति सुथार निवासी साथीन से प्रार्थीया ने 1/3 वां हिस्सा में से 1/2 वां हिस्सा यानि 1/6 वां हिस्सा की जमीन जरीये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 03.06.2004 को खरीद की ली जो बैचान रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ़ में प्रार्थीया के हक में दिनांक 03.06.2004 को पुस्तक सं. प्रथम जिल्द सं. 125 पृष्ट सं. 14 जिल्द सं. कम सं. 1210/04 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. प्रथम पृष्ट सं. 14 जिल्द सं. 253 पर चस्पा किया गया था। बस्तीराम ने अपनी शेष 1/2 वां हिस्सा में से 1/3 यानि 1/6 वां हिस्सा पानीदेवी पत्नि रामसुख जाति जाट, लीलादेवी पत्नि खेमाराम जाति जाट निवासी साथीन को बेचान कर दी थी । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी वक्त खरीद से ही अपने 1/6 वां हिस्सा पर अन्य सहखातेदारान के साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थी के हक में निष्पादन बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.06.2004 की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश हैं। वादग्रस्त

आराजी प्रार्थीया की 1/6 वां हिस्सा की खरीदसुदा कब्जासुदा खातेदारी भूमि है जिस पर वक्त खरीद से ही प्रार्थीया अपने 1/6 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। प्रार्थीया ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु अपनी वादग्रस्त आराजी की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब हल्का पटवारी ने कहा कि जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का हिस्सा 1/6 वां हिस्सा के स्थान पर सेवन से त्रुटिवंश 1/9 वां हिस्सा दर्ज हो गया तथा जमाबन्दी नकल प्रार्थी ने दिनांक 09.06.2022 को प्राप्त की इस पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी ने बस्तीराम से 1/6 वां हिस्सा की भूमि जरीये बैचान रजिस्ट्री खरीद की थी लेकिन प्रार्थी के नाम से जमाबन्दी तैयार करते समय पानीदेवी पत्नि रामसुख, लीलादेवी पत्नि खेमाराम जाट के 1/9 : 1/9 वां हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि बस्तीराम ने अपने 1/3 वां हिस्सा, में से 1/2 वां यानि 1/6 वां हिस्सा, लीलादेवी 1/12 वां हिस्सा दर्ज होना चाहिए तथा प्रार्थीया का 1/6 वां हिस्सा दर्ज होनी चाहिए इस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा से ही दुरूस्ती करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा हैं।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1393, 1394 कुल खसरा 2 कुल रकबा 6.4963 हैक्टयर भूमि में पानीदेवी पत्नि रामसुख का 1/9 वां हिसा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा, लीलादेवी पत्नि खेमाराम का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा, तथा प्रार्थीया का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/6 वां हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीया के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि रेकर्ड अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाता हैं तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर ग्राम साथीन चक द्वितीय के खसरा नम्बर 1393, 1394 भूमि में पानी देवी पत्नि रामसुख का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा, लीलादेवी पत्नि खेमाराम का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा, तथा प्रार्थीया शांतिदेवी का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेंकर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने हिस्सा शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है । वकील प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारान पानीदेवी पत्नि

रामसुख व शांति देवी पत्नि मंगलाराम का सहमति का विवरण प्रस्तुत किया है जिनमें हिस्सा दुरूस्त किये जाने बाबत् अपनी अनापति जाहिर की हैं।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम साथीन चक द्वितीय के खसरा नम्बर 1393, 1394 भूमि में पानी देवी पत्नि रामसुख का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा, लीलादेवी पत्नि खेमाराम का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा, तथा प्रार्थीया शांतिदेवी का 1/9 वां हिस्सा के स्थान पर 1/6 वां हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर